न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 129/2020

GCMS No. : 2020/000208

–:: प्रार्थीगण ::–

1. दिनेशचन्द्र पुत्र देवाराम जाति– रेगर, निवासी– हीरा, नगर, दाधीच टेन्ट के पास जालिया रोड़, ब्यावर जिला– अजमेर (राज0)
2. सुभाष पुत्र देवाराम जाति– महाराणा प्रताप नगर, पाली (राज0)
3. जितेन्द्र पुत्र देवाराम जातियान– रेगर, निवासी– निवासी– एम.एम. कॉलोनी के सामने, जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. देवाराम पुत्र बालूराम जाति– रेगर निवासी– रेगरों का बास, कुएं के पास, जैतारण, जिला जैतारण।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर, तहसीलदार जैतारण जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 07/10/2020

उपस्थितः.
1. श्री राकेश प्रजापति, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः 30/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक अन्य आराजियात के अलावा निम्नलिखित आराजियात ग्राम जैतारण पटवारहल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित है– खाता संख्या 240 खसरा नम्बर 41/11 रकबा 10–16 बीघा, खसरा संख्या 41/14 रकबा 03–03, खसरा नम्बर 42 रकबा 18–00 बीघा, खसरा नम्बर 44/2 रकबा 02–02 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 00–085 बीघा कुल खसरा 43 कुल रकबा 34–09 बीघा। उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिताजी श्री बालू पुत्र पन्ना तथा अन्य खरीदारान् के द्वारा अपने जीवनकालू में जरिये पं[illegible]ननामा के द्वारा वर्ष 1956 में श्री रतनलाल वल्द गीगा जाति [illegible] खरीद की गई थी तथा प्रार्थीगण के दादाजी श्री बालू पुत्र [illegible] चुका है तथा उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण संख्या 01 की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी अनुसार चला आ रहा है। उक्त [illegible]आराजीयात बाबत् नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रार्थीगण की मौखिक सहमति से बैंक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:31:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ऋण और आराजियात पर आज भी काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजियात बाबत् नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त आराजियात् पर अप्रार्थी संख्यसा 01 के द्वारा प्रार्थीगण की मौखिक सहमति से बैंक से ऋण लिया गया और आराजियात् पर आज भी काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के दादाजी बालूजी पुत्र पन्ना के स्वर्गवास उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य वारिसान क्रमशः श्रीमति शान्तिदेवी, श्रीमती अनोपी, श्रीमती माडू श्रीमती शान्ति चली आ रही है। प्रार्थीगण को वर्तमान में जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा उक्त पुश्तैनी एवं पैतृक आराजीयात को बिना प्रार्थीगण की लिखित सहमति के येन केन प्रकारेण दान या हस्तान्तरण करनें पर आमादा है जबकि उक्त आराजियात् अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा स्वयं की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा नही होकर पैतृक आराजियात् है, जिसे अप्रार्थी संख्या एक को किसी भी प्रकार से रहन, बय या हस्तान्तरित तथा दान करनें का कोई हक अधिकार ना तो था और न ही कानूनन हो सकता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या एक के उक्त अवैध एवं गैरकानूनी कृत्य की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् आपत्ति की सक्षम प्रशासनिक अधिकारी सहित अप्रार्थी संख्या 02 के यहां की गई तथा उक्त वाद प्रस्तुत करनें की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमियों के स्वामित्व एवं मालिकाना अधिकार तय नहीं हो जाते है तब तक बेचने व दान तथा हस्तान्तरित करनें का अधिकारी है। नहीं है किन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमियों बाबत बिना स्वामित्व एवं मालिकाना हक अधिकार बेचने एवं दान तथा हस्तान्तरित करने पर आमादा है। जिस बाबत प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 23/09/2020 को अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त अवैध एवं अनाधिकृत कार्य करने से मना किया परन्तु उन्होनें स्पष्ट रुप से मना कर दिय उपरोक्त परिस्थितियों में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उन्हे पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजियात व या उसके किसी भी हिस्से को अन्यत्र लोगों को हस्तान्तरण कर बेचान कर देगे व या दान कर देगा। जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी, साथ ही मुकदमें मे पेचिदगिया बढ जायेगी। जिससे प्रार्थीगण को रुपयों में न आंकी जाने वाली असहनीय व अपूरणीय क्षति होगी और प्रार्थीगण के अधिकारों एवं हितों पर भारी कुठाराघात एवं अन्याय व अत्याचार होगा। मौजूदा वाद मे प्रथम दृष्टया मामला बखूबी वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में है। यह कि वादीगण/प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जो कि ठोस तथ्यों पर आधारित है, जिसमे वादीगण/प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। शपथपत्र संलग्न है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि ताफैसला वाद तक प्रार्थीगण के पक्ष तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं बजरिये, अपने मुख्त्यार, नौकर चाकर, हाली ऐजेन्ट, ठेकेदार, रिश्तेदार एवं नातेदार के द्वारा विवादग्रस्त भूमियों का बाबत विचाराधीन वाद का अन्तिम रुप से निस्तारण नहीं हो जावे तथा वादग्रस्त आराजियात बाबत स्वामित्व टाईटल तय नही हो,

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:42 IST
Reason: SelfAttested

ब तक प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजियात के कब्जे व उसके उपयोग पभोग मे किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा अप्रार्थीगण उत्पन्न नहीं करे और ना ो करावे तथा ना ही किसी भी तृतीय पक्षकार को वादग्रस्त भूमियों का हस्तान्तरण ए्वं दान करे व ना ही किसी भी प्रकार से भारग्रस्त करे व ना ही बैंक से ऋण इत्यादि प्राप्त करे साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द केया जावे कि ता फैसला वाद तक उक्त भूमियों का किसी अन्य व्यक्ति व या विभाग अथवा अन्य किसी के नाम किसी भी प्रकार का कोई दाखिल खारिज इत्यादि नहीं खोले और ना ही उसका कोई पंजीयन ही करे तथा खर्चा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अलग से दिलाया जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थनापत्र पत्र पेश करते हुये कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि गैरसायल जबाब देहन्दा की स्वअर्जित आराजी ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण मे आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 41/11 रकबा 10–16 बीघा, ख0नं0 41/14 रकबा 3–03 बीघा, ख0नं0 4[illegible] रकबा [illegible]8–00 बीघा, ख0नं0 44/2 रकबा 2–02 बीघा, ख0नं0 43 रकबा 0–0[illegible] [illegible] हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी जबाब देहन्दा के कब्जे काश्त की स्वअर्जित आराजी [illegible] सायलान् का कोई हक अधिकार निहित नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि उपरोक्त वर्णित आराजी गैरसायल संख्या 1 अपने स्वयं ने खरीद की थी और अपने पिता के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाई थी और जबाब देहन्दा के पिता बालू पुत्र पन्ना के फौत होने के पश्चात कानूनन उक्त सम्पति जरिये फौतेदगी म्युटेशन जबाब देहन्दा के नाम इन्द्राज हुई तब से लेकर आज दिन तक उक्त आराजी जबाब देहन्दा के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है और मौके पर सेटल पजेशन जबाब देहन्दा का है। सायलान् उक्त सम्पति से आउट ऑफ पजेशन है। उपरोक्त सम्पति मे सायलान् ने अपना जो हक जताया जो पूर्णतया बेबुनियाद है क्योकि उक्त सम्पति जबाब देहन्दा की है, जो वंश वृक्षावली से स्पष्ट है उपरोक्त वंशावली के अनुसार बालूराम जी के फौत होने के पश्चात देवाराम जी के नाम उक्त सम्पति जरिये म्युटेशन आ गयी इसमे देवाराम की तीनो बहनो अना, माडू, शांति ने अपना हक त्य करते हुए अपने भाई देवाराम अर्थात जबाब देहन्दा के पक्ष में हकतर्क किया तब जबाब देहन्दा इस सम्पति का एक मात्र मालिक बना। इसके पश्चात भी यदि सायलान् अपने हक जताते है तो सायलान् का 1/24, 1/24 हिस्से से ज्यादा इस सम्पति पर कोई हक अधिकार निहित नही रह जाता है और उक्त हक अधिकार भी जबाब देहन्दा के जीवनकाल मे सायलान् कोई हक अधिकार प्राप्त नही कर सकते है तथा जबाब देहन्दा रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है और इसके विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान् प्राप्त नही कर सकते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि गैरसायल संख्या 1 के द्वारा ऋण लेना और वो सायलान् की मौखिक सहमति से लेना उक्त तथ्य पूर्णतया बेबुनियाद व गलत है जबकि जबाब देहन्दा स्वय रेकर्डेड खातेदार है और उसे अपनी आराजी पर कृषि ऋण लेने हेतू किसी की सहमति की आवश्यकता नही है जबकि वास्तविकता यह है कि जबाब देहन्दा सन् 1999 मे सरकारी सेवा से सेवा निवृत हुए और जिनमे उनका

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:42 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन कोई हक अधिकार नही बनता है सायलान् द्वारा यह तथ्य अंकित करना कि आप्पति बाबत् सक्षम प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करवा दिया है उक्त तथ्यो का जबाब है कि जबाब देहन्दा रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है और वह अपनी आराजी का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग कर सकता है जिसको कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं रोक सकता है क्योकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे जबाब देहन्दा रेकर्डेड खातेदार है। इन तथ्यों के अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद व गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जबाब है कि सायलान् वादग्रस्त सम्पति मे गैरसायल के विरुद्ध किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है न ही खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा सकते है क्योकि वादग्रस्त सम्पति का स्वामित्व जबाब देहन्दा के पास है जिसमे सायलान् का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। सायलान् द्वारा य तथ्य अंकित करना कि दिनांक 29/09/2020 को गैरसायल द्वारा उक्त सम्पति को दान करना या हस्तान्तरित करना आदि के कथन पूर्णतया झुठे व बेबुनियाद है मात्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की गरज से झुठे तथ्य अंकित किये है। सायलान् जबाब देहन्दा के जीवनकाल मे किसी तरह की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। इनके अलावा प्रार्थनापत्र मे वर्णित अन्य तथ्य बेबुनियाद व मनगढन्त से गैरसायल संख्या 1 [illegible] है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 का जबाब है कि जबाब देहन्दा वादग्रस्त सम्पति का स्थापित खातेदार काश्तकार है और उक्त सम्पति का टाईटल जबाब देहन्दा के पास है तथा सायलान् उक्त सम्पति के न तो सहहिस्सेदार है न ही हिस्सेदार है न ही मौके पर उनका पजेशन है। इसलिए सायलान् वादग्रस्त सम्पति के सम्बन्ध मे किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायल जबाब देहन्दा के प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक – रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध एक अजनबी व्यक्ति किसी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। सायलान् मात्र एक सिनियर सिटीजन जबाब देहन्दा को हेरान परेशान करने की गरज से यह झुठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। जबकि सायलान् ने कभी भी जबाब देहन्दा की सेवा चाकरी नही की न ही भरण पोषण किया मात्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की गरज से कपोल कल्पित तथ्य अंकित किये है। इसके अलावा अन्य तथ्य बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता प्रार्थनापत्र के पद संख्या 9 का जबाब है कि सायलान् द्वारा इस पद मे प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन किन आधारो पर सायलान् के पक्ष मे साबित है इस बाबत् कोई खुलासा इस पद मे नही किया गया है, न ही अपूर्णिय क्षति का कोई तथ्य अंकित किया है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीनो बिन्दुओ का साबित होना जरुरी है और यह तीनो बिन्दू गैरसायल जबाब देहन्दा के पक्ष मे बखुबी साबित है। क्योकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे जबाब देहन्दा देवाराम रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रेकर्डेड खातेदार काश्तकार होने से सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी जबाब देहन्दा गैरसायल के पक्ष मे साबित है और यदि रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की आड मे सायलान् कोई गैरकानूनी कृत्य विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध तो अपूर्णिय क्षति भ जबाब देहन्दा गैरसायल को होना सुनिश्चित है। इसलिए सायलान् का प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 10 का जबाब है कि

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:42 IST
Reason: SelfAttested

सायलान् ने माननीय न्यायालय मे जो राजस्व वादपत्र पेश किया है वह ठोस तथ्यो पर आधारित नही होकर कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित है इसलिए सायलान् उस वादपत्र में सफल नही हो सकते है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध लिखित बहस एवं अपने समर्थन में न्यायिक नजीर Suraj Bhan and Ors vs Finacial Commissioner & Ors(Supreme Court of India) प्रस्तुत की, जो सामिल मिसल कर उनका ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

(1) **प्रथमदृष्ट्या मामला** :– प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 देवाराम जो कि प्रार्थीगण का पिता हैं के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं [illegible] का वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है, के साथ अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर [illegible] किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता श्री बालू पुत्र पन्ना व अन्य खरीदारान् द्वारा जरिये पंजीकृत बैचाननामा वर्ष 1956 में क्रय की गई थी। प्रार्थीगण के दादा बालू की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त आराजी को प्रार्थीगण की लिखित सहमति के बिना दान या हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिसका इन्हें कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अतः जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी होने के कारण प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित होना जाहिर किया तथा यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वयं खरीद कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया था जो पिता बालू के फौत होने पर कानूनन जरिये नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 निरन्तर रूप से कब्जे काश्त है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण द्वारा जो हक बताया गया हैं वह बेबूनियाद है क्योंकि बालू जी की वंशावली के अनुसार बालूजी की तीन संतान क्रमशः देवाराम, अन्ना, माडू, तथा शान्ति तथा देवाराम के तीन पुत्र जो प्रार्थीगण के अलावा दो पुत्रियों क्रमशः सरला एवं सविता उर्फ सरिता भी है। प्रार्थीगण द्वारा अन्ना, माडू, शान्ति, सरला एवं सविता उर्फ सरिता को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है, साथ ही बालूराम जी फौत होने के पश्चात् अप्रार्थी देवाराम की तीनों बहनों अन्ना, माडू, एवं शान्ति ने अपना हक त्याग करते हुये अपने भाई देवाराम के पक्ष में हक तर्क किया जिससे जवाब देहन्दा उक्त सम्पति का एकमात्र खातेदार काश्तकार बना। इसके पश्चात् भी यदि सायलान् अपना हक जताते हैं तो सायलान का 1/24–1/24 हिस्से से ज्यादा इस सम्पति पर कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त हक अधिकार भी सायलान जवाब देहन्दा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:42 IST
Reason: SelfAttested

जीवनकाल में प्राप्त नहीं कर सकते। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है अतः इसके विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 देवाराम पुत्र बालू के नाम खातेदारी दर्ज है तथा पंजीकृत बैचाननामा की अप्रमाणित प्रति के अनुसार उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के पिता बालू वल्द पन्ना एवं अन्य क्रेतागण द्वारा दिनांक 11.08.1956 को क्रय की गई है। प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीगण के दादाजी बालू पुत्र पन्ना के वारिसान अप्रार्थी संख्या एक के अलावा शान्ति, अनोपी, एवं माडू भी है। इस प्रकार प्रार्थीगण के उक्त कथनों से अप्रार्थी के इन कथनों की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी देवाराम का बतौर वारिसान 1/4 हिस्सा आता है। अन्य वारिसान को प्रार्थीगण द्वारा बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी देवाराम के अनुसार उनके कुल पांच संतान है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी दो बहनों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। चुंकि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक [illegible] के आधार पर अपने पिता के जीवनकाल में जन्म से प्राप्त अपने हक [illegible] घोषणा बाबत् मुख्य अनुतोष वादपत्र में चाहा है तथा ऐसी दशा में प्रार्थी के लिये आवश्यक होता है ऐसी वादग्रस्त आराजी के को सहदायिक (Coparcenary) सम्पत्ति होने तथा ऐसी सहदायिक सम्पति के समस्त वारिसान के सम्बन्ध में समस्त तथ्य एवं सूचना प्रकट करते हुये ऐसी सम्पत्ति हक हिस्सा किस कारण से ही कितना निहित है जिसकी घोषणा करवाई जानी हैं, अभिलिखित रूप से प्रकट करें लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसे तथ्यों प्रकटीकरण नहीं किया है। साथ ही अप्रार्थी देवाराम द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी तीनों बहनों द्वारा अपना हक हिस्सा उसके पक्ष में हक त्याग किया गया था। जिसका प्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र के मुख्य अनुतोष के सम्बन्ध में इस स्तर पर गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णायक टिप्पणी किये बिना हमारा स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में अपने कानूनन हक हिस्से जिसका संरक्षण करवाया जाना है, का प्रकटीकरण नहीं करनें, वादग्रस्त आराजी के सहदायिक होने एवं प्रार्थीगण के दादा बालू के सहदायिक के रूप में वारिसानों का तथ्य प्रकट नहीं करनें एवं अप्रार्थी देवाराम वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित खातेदार होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित एवं स्थापित नहीं होता है।

(2) **सुविधा का संतुलन** :- पूर्वविवेचित बिन्दु संख्या एक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में है। जबकि जमाबन्दी से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी देवाराम द्वारा बैंक से ऋण भी लिया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुविधा संतुलन वर्तमान में प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी संख्या 01 देवाराम के पक्ष में निहित है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(3) **अपूरणीय क्षति** :– चुंकि अप्रार्थी संख्या एक देवाराम वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी द्वारा ऋण भी प्राप्त किया गया है। प्रार्थीगण यह स्पष्ट करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उनके पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होगी, जबकि अप्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में उसकी तीन बहनों द्वारा अपना हक हिस्सा उसके पक्ष में हक त्याग किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा बालू के समस्त वारिसान के सम्बन्ध एवं अपने वास्तविक हक हिस्से के सम्बन्ध में कोई तथ्य भी प्रकट नहीं किया है, तथा बिन्दू संख्या एक व दो प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित हुये है, अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–आदेश–

अतः उपर्युक्त विवचेन के [illegible] में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान का[illegible]नियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारई[illegible] होनें [illegible]/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर [illegible] एक क्रम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:42 IST
Reason: SelfAttested